(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 9/2021-संघराज्यकर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- संघराज्यमाल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-संघराज्यकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनूसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"86.	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है।";

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी ।

[फा.सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-संघराज्यकर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019-संघराज्यकर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।